उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या--1/2022/एस0ई0-4-581/दस-2022-ई0एम0-46/05
लखनऊ : दिनांक : 26 जुलाई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नीचे तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों, जो स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय-ज्ञाप द्वारा वित्त सचिव शाखा के लिए सृजित किये गये थे तथा जिनकी निरन्तरता की स्वीकृति अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2020-एस0ई0-4-824/दस-2020-ई0एम0-46/05, 28 अक्टूर, 2020 द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2020 से दिनांक 28 फरवरी, 2021 तक प्रदान गई थी, का कार्यकाल दिनांक 01 मार्च, 2021 से दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक के लिए बढ़ाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 01 मार्च, 2022 से दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड (रूपये में)	पद सृजन से संबंधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या व दिनांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	वरिष्ठ अनुसेवक	एक	5200-20200 (यथा संशोधित) लेवल-1	वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-830/दस-89-ई-667/89, दिनांक 17-04-1989
2	अनुसेवक	एक	5200-20200 (यथा संशोधित) लेवल-1	वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-4506/दस-861-एम-1(2)/78, दिनांक 26-07-1986
3	अनुसेवक	एक	5200-20200 (यथा संशोधित) लेवल-1	वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-2751/दस-टीसी-एफसी0-7/81, दिनांक 09-05-1986
	-	कुल तीन पद	--	--

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो उन्हें अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-03-सचिवालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1/2022/एस0ई0-4-581(1)/दस-2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार(लेखा प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) दो प्रतियॉ।
(5) सचिवालय प्रशासन अनुभाग-4 (अधि0)।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(7) अधिष्ठान अधिकारी ।

आज्ञा से,

लाल मणि यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।